न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किल कोर्ट रीवा,
जिला रीवा (म0प्र0)-

Rs.1-
30/-

रामप्रताप पटेल तनय स्व0 श्री जगन्नाथ पटेल उम्र 70 साल, पेशाखेती, निवासी ग्राम टिकुरी 32 तहसील मनगवाँ जिला रीवा (म0प्र0)-

----निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1- समयलाल पिता गंगा पटेल,

2- रामाधार पिता सियम्बर पटेल,

3- रामरती पत्नी श्री बैकुण्ठप्रसाद पटेल,
----सभी निवासी ग्राम समान तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0-

4- शासन म0प्र0 -

--- अनावेदकगण

श्री अवधेश सिंह द्वारा आज दिनांक 14-6-16 को प्रस्तुत किया गया।

तहसीलदार, तहसील हुजूर, द्वारा प्रकरण क्र0 6/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दि0 25/5/2016 के विरुद्ध निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 भू.-राजस्व संहिता।

मान्यवर,

निगरानी के आधार :-

आवेदक का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है:-

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25/5/2016 विधि एवम् प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अवैधानिक रूप से निगरानीकर्ता के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दिये जाने पर निगरानीकर्ता द्वारा विधिवत कारणों का उल्लेख करते हुये एकपक्षीय कार्यवाही समाप्त कर आपत्तिकर्तागण व उनके साक्षियों पर प्रतिपरीक्षण का अवसर दिये जाने हेतु एक आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 35 (3) भू. रा. सं. दिनांक 8/3/2016 को प्रस्तुत कियागया था। जिसका उल्लेख आदेश पत्रिका में किया जाकर आवेदन के जबाब हेतु पेशी दिनांक 22/3/2016 नियत कर दी गयी थी। दिनांक 22/3/2016 कोप्रकरण

-2-

न्याय

10रु. COURT दस रुपये

1 (अ) आशीष कुमार पटेल तनय श्री केशव प्रसाद पटेल उम्र 25 वर्ष,
(ब) प्रकाश पटेल तनय श्री रघुवंश प्रसाद पटेल उम्र 22 वर्ष,
(स) कौतिक पटेल तनय श्री रमेश कुमार पटेल उम्र 15 वर्ष,
नाबालिक जरिए वली पिता रमेश कुमार पटेल
(द) ध्रुव पटेल तनय श्री रमेश कुमार पटेल उम्र 10 वर्ष,
नाबालिक जरिए वली पिता रमेश कुमार पटेल
सभी निवासी ग्राम डिहुरी-32 तहसील मनगवां जिला
रीवा म०प्र०।

निगरानीकर्तागण

न्यायालय में 18-07-2018 को अधिवक्ता (?) द्वारा पेश किया गया।

(592)

(235)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R S 2264-II/16 जिला रीवा

रामप्रताप पटेल विरूद्ध सन्तलाल पटेल

1	2	3
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री अवधेश सिंह अधिवक्ता द्वारा यह ~~नायब~~ तहसीलदार तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 6/अ-12/11-12 में पारित आदेश दिनांक 25-05-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29-3-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	